

**विधान परिषद के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल,
मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर -**

प्रश्न	उत्तर
16(क) क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बतायेंगे कि पी0एम0 विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन सं0-23241415611222 व 23241415610997 पर लाभार्थियों द्वारा जनपद-उन्नाव में पंजीयन नहीं कराया गया है। उक्त रजिस्ट्रेशन संख्या पर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत दर्जी ट्रेड में लाभार्थियों द्वारा जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंजीयन कराये गये हैं।	
(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के लाभार्थियों को विभाग द्वारा क्या लाभ देय है तथा इन लाभों का विवरण संबंधितों को अद्यतन प्रदान करा दिये गये हैं ?	प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत लाभार्थियों को संबंधित ट्रेड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त लाभार्थियों को प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से मानदेय रु0 4000/- का भुगतान किया जाता है एवं संबंधित ट्रेड की विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी उन्नत टूलकिट का जिला स्तर पर वितरण किया जाता है। संबंधित पंजीकृत लाभार्थियों को योजनान्तर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा जिला स्तर पर दर्जी ट्रेड की टूलकिट (जिसमें सिलाई मशीन सम्मिलित है) उपलब्ध करा दी गयी गयी है। पंजीकृत लाभार्थी को प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा मानदेय की धनराशि रु0 4000/- का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से कर दिया गया है।

राकेश सचान

मंत्री

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग